

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क्र० 219/2016 अ०फौ०

1. राहुल उर्फ अजीज खां पुत्र पप्पु उर्फ शहीद खां उम्र 26 वर्ष
2. यूनिस खॉन पुत्र शहीद खॉन आयु 40 साल निवासीगण आपा की तकिया नवीन कलेक्टर के पास गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

.....अपीलार्थी

बनाम

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता

प्रत्यर्थी सहित श्री दीवान सिंह गुर्जर ए०जी०पी०

// निर्णय //

(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित किया गया)

1- अपीलार्थी / आरोपीगण द्वारा यह दण्डिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1449/2011 में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 26.09.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी राहुल को भादसं की धारा 338 के अपराध में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से के व्यतिक्रम में 1 माह के साधारण कारावास, मोटर यान अधिनियम की धारा 39/192 में 2000 रुपए का अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 2 माह के साधारण कारावास तथा धारा 3/181 में 500 रुपए के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया है। इसी प्रकार आरोपी/अपीलार्थी युनुस खान को मोटरयान अधिनियम की धारा 19/192 में 2000 रुपए का अर्थदण्ड तथा धारा 5/180 में 50 रुपए के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित करने के दण्डादेश से व्यथित होकर

प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.12 को फरियादी आजाद की पुत्री डबबु दुकान पर सामान लेने गयी थी जैसे ही वह पुलिया के पास पहुंची अपीलार्थी राहुल ने मोटरसाईकिल को तेजी व उपेक्षा से चलाकर डबबु को टक्कर मार दी जिससे उसे गंभीर चोट कारित हुई।

3. अनुशंधान पश्चात अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया तथा विचारण उपरांत विचारण न्यायालय में उक्तानुसार दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया है जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. इस अपील को उभयपक्ष की सहमति से दिनांक 08.07.17 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखा गया था जहां उभयपक्ष की ओर से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। किंतु संपूर्ण धाराएं राजीनामा योग्य न होने के कारण प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा सका।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधि. ने व्यक्त किया कि वह लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर राजीनामा योग्य धाराओं में दोषमुक्ति की प्रार्थना करते हैं तथा शेष धाराओं में की गयी दोषसिद्धि व दण्डादेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधि. के तर्कों पर विचार किया गया। लोकअदालत में प्रकरण की आहत डबबु की ओर से राजीनामा के संबंध में आवेदन उसकी संरक्षक मां चीना बाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय से राजीनामा की अनुमति चाही है। आहत एवं आहत की मां की पहचान अधि. श्री पी.एन.भट्टेले द्वारा की गयी है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए। आहत डबबु की मां चीना बाई को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रस्तुत राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राहुल के विरुद्ध भादसं की धारा 338 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने शेष दोषसिद्धि व दण्डादेश को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में अपीलार्थी राहुल को भादसं की धारा 279 में भी दोषसिद्ध पाया है किंतु भादसं की धारा 338 गुरुतर प्रवृत्ति की होने के कारण भादसं की धारा 338 में अपीलार्थी को दंडित किया था जबकि भादसं की धारा 279 में दंडित नहीं किया था।

8. अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी राहुल को भादसं की 279 जो कि अशमनीय है के अपराध में अपीलार्थी राहुल को 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 1 माह का साधारण कारावास अलग से भुगताया जावे।

9. अपीलार्थीगण की ओर से अर्थदण्ड जमा किया जा चुका है। अपीलार्थी राहुल की ओर

से भादसं की धारा 338 के अंतर्गत जमा किया गया 1000 रुपए अर्थदण्ड भादसं की धारा 279 के दण्डादेश में समायोजित किया जावे। अपीलार्थीगण को अब कोई अर्थदण्ड जमा किया जाना शेष नहीं रहा है।

10. संपत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)